एडमिशन अलर्ट

22 तक होगा बीएड में नामांकन

पटना. राज्य के बीएड कॉलेजों में दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गयी है. छठे चरण की काउंसेलिंग पूरी होने के बाद अब तक करीब 33 हजार सीटों पर अभ्यर्थियों का दाखिला हो चुका है. वहीं, राज्य के विभिन्न बीएड कॉलेजों में करीब 4300 सीटें अभी रिक्त हैं. इन सीटों को भरने के लिए सातवें व नौवें चरण तक काउंसेलिंग करायी जायेगी. सातवें चरण की काउंसेलिंग के लिए 20 अगस्त को कॉलेज आवंटन सूची जारी हुई. 22 अगस्त तक आवंटित कॉलेज में नामांकन करा सकेंगे.

सिमुलतला : अब 28 तक आवेदन

पटना. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय की कक्षा छह में सत्र 2027-28 में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब इच्छुक विद्यार्थी और उनके अभिभावक 28 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे. पहले आवेदन की अंतिम तिथि इससे पहले निर्धारित थी.

कैंपस एक्टिविटी

मानवाधिकारों के प्रति करें जागरूक

पटना. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मॉनीटर प्रो कन्हैया त्रिपाठी ने गुरुवार को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का दौरा किया. इस दौरान कुलपति प्रो उपेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में प्रो त्रिपाठी ने विवि की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि छात्रों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित किये जाएं. हर कॉलेज में मानवाधिकार प्रकोष्ठ गठित करने और विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी सलाह दी. कुलपति प्रो उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि विवि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के मानवाधिकार, गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय के प्रति भी संवेदनशील हैं.

बॉटनी, हिस्ट्री, जूलॉजी व कॉमर्स में नहीं नियुक्त हुए असिस्टेंट प्रोफेसर

विवि में 1046 पदों पर नियुक्ति का इंतजार

चार विषयों में शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान

संवाददाता पटना

बिहार के विवि में नये सत्र की शुरुआत हो चुकी है. चार विषयों में शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान है. इस वजह से इस सत्र में विज्ञान में नामांकन कम हुआ है. बॉटनी में 333, हिस्ट्री में 316, जूलॉजी में 285 और कॉमर्स में 112 शिक्षकों के पद खाली है. पीयू, पीपीयू, एमयू, टीएमबीयू में भी इस चार विषयों में सबसे कम शिक्षक हैं. इन पदों पर नियुक्ति से शिक्षकों की कमी बहुत हद तक दूर हो सकती है. वहीं स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया अदालती पेच में फंस गयी है. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2020 में 52 विषयों में शुरू की गयी नियुक्ति प्रक्रिया में 48 विषयों का चयन पूरा हो चुका है. जबकि हिस्ट्री, कॉमर्स, बॉटनी और जूलॉजी में बहाली का मामला हाइकोर्ट में लंबित है.

बिना सहमति प्रतिनियुक्ति का भी विरोध : दूसरी ओर राज्य के 211 नये डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पुराने कॉलेजों और पीजी विभागों से शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने का फैसला भी विवादों में है. शिक्षकों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना उन्हें नये कॉलेजों में भेजा गया. विश्वविद्यालय स्तर पर राहत नहीं मिलने के बाद कुछ शिक्षकों ने हाइकोर्ट का रुख किया है.

संविदा शिक्षकों से मिलेगी राहत की उम्मीद : शिक्षा विभाग ने नये डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है. इनके जल्द योगदान करने की उम्मीद है. संविदा शिक्षकों के पदभार संभालने के बाद प्रतिनियुक्त किये गये स्थायी शिक्षकों को उनके मूल कॉलेज या विभाग में वापस भेजे जाने की संभावना है. इससे विश्वविद्यालयों और पुराने डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी कुछ हद तक कम हो सकती है.

चयन प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने उठाये सवाल

अभ्यर्थियों की ओर से चयन प्रक्रिया को लेकर कई आपत्तियां दर्ज करायी गयी हैं. इनमें क्रीमी लेयर से जुड़े नियम, चयन मानकों में कथित भिन्नता तथा अनुभव प्रमाणपत्र से संबंधित आपत्तियां प्रमुख हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होने के बावजूद अनुभव प्रमाणपत्र पर पत्रांक और तिथि दर्ज नहीं होने के आधार पर कई उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया.

प्रयोगशाला में ताला बंद मिला तो प्रधानाध्यापक पर होगी कार्रवाई

पटना. जिले के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण के दौरान प्रयोगशाला या पुस्तकालय में ताला बंद मिलने पर प्रधानाध्यापक पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में डीइओ योगेश कुमार ने जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान कई जगह प्रयोगशाला और पुस्तकालय कक्ष बंद मिले. साथ ही विभाग से मिले प्रायोगिक उपकरण और किट भी व्यवस्थित ढंग से रखे हुए नहीं मिले. कई विद्यालयों में प्रयोगशाला का नियमित संचालन नहीं होने की भी जानकारी मिली. डीइओ ने कहा कि प्रयोगशाला का नियमित संचालन नहीं होने से विद्यार्थियों को प्रायोगिक शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. यह ठीक नहीं है. उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को प्रयोगशाला कक्ष नियमित रूप से खोलने को कहा है.

मैट्रिक में असफल छात्राओं के लिए होगी विशेष कक्षा

संवाददाता, पटना

मैट्रिक परीक्षा 2026 में असफल छात्राओं को दोबारा परीक्षा की तैयारी कराने के लिये राज्यभर में सेकेंड चांस हाइस्कूल सहयोग कार्यक्रम चलाया जायेगा. इसके तहत छात्राओं को स्कूल स्तर पर विशेष शैक्षणिक सहयोग दिया जायेगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीपीओ माध्यमिक शिक्षा से फेल छात्राओं की सूची मांगी है. कार्यक्रम का संचालन प्रथम फाउंडेशन के सहयोग से किया जायेगा. चयनित छात्राओं को विशेष स्कूलों में प्रतिदिन करीब दो घंटे पढ़ाया जायेगा. प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग विशेषज्ञों की मदद ली जोयगी. इसके अलावा छात्राओं के लिए मासिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे, ताकि पढ़ाई के साथ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके.

हर स्कूल में होंगे एक नोडल शिक्षक : सभी स्कूलों को अपने यहां मैट्रिक में फेल छात्राओं की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यह भी बताया जायेगा कि छात्राएं किन-किन विषयों में फेल हुई हैं. प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को नोडल शिक्षक के रूप में नामित किया जायेगा.

हर विषय में प्रगति की होगी समीक्षा

प्रथम फाउंडेशन की ओर से छात्राओं को शैक्षणिक मार्गदर्शन देने के साथ उनकी विषयवार प्रगति की समीक्षा की जायेगी. स्कूल प्रबंधन को फैसिलिटेटर की सूची के अनुसार आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. जिला स्तर पर डीपीओ स्कूलवार कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे और छात्राओं की प्रगति की रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे. कार्यक्रम का उद्देश्य मैट्रिक में असफल छात्राओं को दोबारा परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना.

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थियों को फेस ऑथेंटिकेशन के बाद मिलेगा प्रवेश

बांकीपुर गर्ल्स हाइस्कूल केंद्र पर 21 से 23 और 29 व 30 अगस्त को होगी परीक्षा

संवाददाता,पटना

प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने बैठक में की तैयारियों की समीक्षा.

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 21 से 23 अगस्त और 29 व 30 अगस्त को बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दो पालियों में होगी. परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों का फ्रिस्किंग व फेस ऑथेंटिकेशन जांच के बाद प्रवेश मिलेगा. परीक्षा के शांतिपूर्ण, पारदर्शी व कदाचारमुक्त आयोजन को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने गुरुवार को तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. आयुक्त ने परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में जैमर लगाने और उनकी नियमित जांच कराने का निर्देश दिया. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि जैमर की जांच करेंगे और एसडीओ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर कार्यशीलता का सत्यापन करायेंगे.

निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा अनिवार्य : प्रथम पाली के लिए केंद्र का मुख्य द्वार सुबह 8:30 बजे व दूसरी पाली के लिए दोपहर दो बजे बंद हो जायेगा. अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंच कर जांच पूरी करानी है. बिना वैध सरकारी पहचान पत्र के किसी कर्मी या अधिकारी को प्रवेश नहीं मिलेगा.

परीक्षा के दौरान नियंत्रण कक्ष काम करेगा : यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के साथ आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत रहेगा. नियंत्रण कक्ष का नंबर 0612-2219205 व 2233578 है.बैठक में आयुक्त के सचिव विनय कुमार ठाकुर, ट्रैफिक एसपी सागर कुमार, एसडीओ, डीइओ, केंद्राधीक्षक सहित अन्य उपस्थित थे.

शोधार्थियों का आमरण अनशन जारी, कल लोकभवन मार्च

संवाददाता, पटना

सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में यूजीसी रेगुलेशन-2018 के टेबल-3ए को लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरनास्थल पर ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन गुरुवार को 17वें दिन भी जारी रहा. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश संयोजक कुमुद पटेल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है. कुमुद पटेल ने प्रेस वार्ता में 22 अगस्त को छात्र-युवा संगठनों के साथ लोकभवन मार्च निकालने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि मार्च वीर कुंवर पार्क होते हुए आयकर गोलंबर तक जायेगा. इसमें बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थियों के शामिल होने का दावा किया गया है. पटेल ने शोधार्थियों व युवाओं की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

प्रमुख मांगें

- विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की स्वायत्तता का हनन रोकना.
- वर्षों से कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों को सेवा संरक्षण या सेवा समंजन देना.
- सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में यूजीसी रेगुलेशन-2018 के टेबल-3ए को लागू करना.
- अधिकतम आयु 55 वर्ष करना.
- विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति को स्थायी और नियमित करना.
- प्रभावी डोमिसाइल नीति लागू करना.

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India

आंचलिक कार्यालय, पटना अंचल
प्रथम तल, चाणक्या पैलेस,
आर–ब्लॉक, पटना–800001
(फोन: 0612-2506639/2506932)

[परिशिष्ट –IV नियम 8 (1)], कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी **बैंक ऑफ इंडिया, पटना कॉर्पोरेट शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटेरेस्ट अधिनियम 2002 तथा सिक्योरिटी इंटेरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न टेबल में उल्लेखित विवरण को डिमांड नोटिस निर्गत किया गया था, जिसमें निम्नलिखित ऋणी/जमानतदार को इस सूचना प्राप्ति के साठ दिनों के अन्दर बैंक की बकाया राशि सूद को अदायगी को कहा गया था।
निम्नवर्णित कर्जदारों /जमानतदारों निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया है, एतद् द्वारा उपरोक्त वर्णित कर्जदारों /जमानतदारों और सामान्य रूप से जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कथित नियमों के पठित नियम 8 कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सम्पत्ति पर **दिनांक 19 अगस्त 2026** को कब्जा में ले लिया है। सह–कर्जदारों/जमानतदारों , मृतक उधारकर्ता के कानूनी उतराधिकारी को विशेष रूप से और जनसाधारण को सामान्य रूप से तालिका में वर्णित सम्पत्ति के साथ लेन देन करने से अगाह किया जाता है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई लेनदेन तालिका में संबंधित कॉलम में दर्शाए गए राशि **बैंक ऑफ इंडिया, पटना कॉर्पोरेट शाखा** के अधीन होगा। सह–कर्जदारों /जमानतदारों, मृतक उधारकर्ता के कानूनी उतराधिकारी का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार एवं सह–कर्जदार/ जमानतदार का नाम	(i)शाखा, (ii)नोटिस 13(2) के अनुसार तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति पर कब्जा करने की सूचना तिथि
1.	श्री मनीष कुमार/ मेसर्स अदिति देवा मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	(I) पटना कॉर्पोरेट शाखा (ii) डिमांड नोटिस की तिथि: 11.05.2026, Rs. 4,14,43,983.96 और उस पर ब्याज	(क) भूमि एवं भवन का पंजीकृत बंधक, जिसकी कुल 2 एकड़ 80 डिसमिल है, जो श्री मनीष कुमार के नाम पर ग्राम खेमदा, बारूण में स्थित है मौजा–खेमदा, बारूण, तौजी सं. 4791, खाता सं. 22, 20, 19, 5 और 69, खेसरा प्लॉट सं 648, 649, 650, 865, 645, 644, 643, 639, 636, 640, 641, 642, 646 और 647, थाना+पोस्ट–बारूण,	19.08.2026

जिला–औरंगाबाद, बिहार, खाता सं. 22, खेसरा स./प्लॉट सं. 648, रकवा 1 एकड़ 32 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–देवनंदन प्रसाद, दक्षिण–नारायण सिंह, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 20, खेसरा स./प्लॉट सं. 649, रकवा 73 डिसमिल, खाता सं. 20, खेसरा स./प्लॉट सं. 645, रकवा 07 डिसमिल, खाता सं. 20, खेसरा स./प्लॉट सं. 644, रकवा 07 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–मनीष कुमार, दक्षिण–मनीष कुमार, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 19, खेसरा स./प्लॉट सं. 650, रकवा 02 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–मनीष कुमार, दक्षिण–मनीष कुमार, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 05, खेसरा स./प्लॉट सं. 865, रकवा 05 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–मनीष कुमार, दक्षिण–मनीष कुमार, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 643, रकवा 02 डिसमिल, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 639, रकवा 02 डिसमिल, खाता सं. 69, खेसरा स. /प्लॉट सं. 636, रकवा 09 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–मनीष कुमार, दक्षिण–मनीष कुमार, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 640, रकवा 03 डिसमिल, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 641, रकवा 03 डिसमिल, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 642, रकवा 03 डिसमिल, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 646, रकवा 19 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–देवनंदन प्रसाद, दक्षिण–मनीष कुमार, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 647, रकवा 13 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–पिंड, दक्षिण–मनीष कुमार और नारायण सिंह, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–पिंड, **(ख)** जमीन और बिल्डिंग 2 एकड़ 80 डिसमिल के लीज होल्ड राइटस का साम्यिक बंधक (32 वर्ष की लीज अवधि 29.09.2013 से प्रारंभ) कंपनी के नाम पर जो ग्राम खेमदा, बारूण में स्थित है, मौजा–खेमदा, बारूण, तौजी सं. 4791, खाता सं. 22, 20, 19, 5 और 69, खेसरा प्लॉट सं 648, 649, 650, 865, 645, 644, 643, 639, 636, 640, 641, 642, 646 और 647, थाना+पोस्ट–बारूण, जिला–औरंगाबाद, बिहार, खाता सं. 22, खेसरा स./प्लॉट सं. 648, रकवा 1 एकड़ 32 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–देवनंदन प्रसाद, दक्षिण–नारायण सिंह, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 20, खेसरा स. /प्लॉट सं. 649, रकवा 73 डिसमिल, खाता सं. 20, खेसरा स./प्लॉट सं. 645, रकवा 07 डिसमिल, खाता सं. 20, खेसरा स. /प्लॉट सं. 644, रकवा 07 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–मनीष कुमार, दक्षिण–मनीष कुमार, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 19, खेसरा स./प्लॉट सं. 650, रकवा 02 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–मनीष कुमार, दक्षिण–मनीष कुमार, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 05, खेसरा स./प्लॉट सं. 865, रकवा 05 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–मनीष कुमार, दक्षिण–मनीष कुमार, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 643, रकवा 02 डिसमिल, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 639, रकवा 02 डिसमिल, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 636, रकवा 09 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–मनीष कुमार, दक्षिण–मनीष कुमार, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 69, खेसरा स. /प्लॉट सं. 640, रकवा 03 डिसमिल, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 641, रकवा 03 डिसमिल, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 642, रकवा 03 डिसमिल, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 646, रकवा 19 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–देवनंदन प्रसाद, दक्षिण–मनीष कुमार, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–मनीष कुमार, खाता सं. 69, खेसरा स./प्लॉट सं. 647, रकवा 13 डिसमिल, **चौहद्दी:** उत्तर–पिंड, दक्षिण–मनीष कुमार और नारायण सिंह, पूरब–मनीष कुमार, पश्चिम–पिंड
(ग) संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य अचल संपत्तियों, स्टॉक और पुस्तक ऋणों का दृष्टिबंधक।

* पुर्नभुगतान तक तत्काल लागू ब्याज दर के साथ।

दिनांक : 19.08.2026
स्थान : पटना
विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया

सिटी बाइट्स

बिहार के पहले अर्बन पॉलिसी सेंटर का उद्घाटन

पटना. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (एकेयू) में बिहार के पहले सेंटर फॉर अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस का उद्घाटन गुरुवार को हुआ. इसका उद्देश्य तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य, शहरीकरण की चुनौतियों और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर प्रमाण-आधारित शोध को बढ़ावा देना व नीति-निर्माताओं और अकादमिक जगत के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है. उद्घाटन समारोह में नीति-निर्माण, शहरी विकास, प्रशासन, शिक्षा व शोध क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया. मुख्य अतिथि डॉ शामिका रवि ने कहा कि विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल शिक्षा तक सीमित नहीं हो सकती. केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ राजभूषण चौधरी ने कहा कि बिहार को मिला यह पहला अर्बन पॉलिसी सेंटर बच्चों को नयी जानकारी देगा और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करेगा. सांसद शांभवी चौधरी ने इसे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए नयी संभावनाओं का मंच बताया. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो शरद कुमार यादव ने कहा कि यह केंद्र आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, पर्यावरण और जलवायु-लचीलापन जैसी चुनौतियों के स्थानीय समाधान तलाशने में मदद करेगा.

एलएलबी पेपर लीक और फीस वृद्धि का विरोध

पटना. पटना विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोप, पीजी पाठ्यक्रमों की फीस में दोगुनी वृद्धि और मगध महिला कॉलेज की छात्रा के लापता होने के मामले को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने विरोध जताया है. संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन व संबंधित अधिकारियों से तीनों मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. एआइएसफ के पटना विश्वविद्यालय छात्र नेता बिट्टू भारद्वाज ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक का आरोप गंभीर मामला है. वहीं एआइएसएफ पटना जिला सचिव मीर सैफ अली ने कहा कि एक ओर विश्वविद्यालय की फीस में लगातार वृद्धि से छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. मगध महिला कॉलेज की लापता छात्रा की सुरक्षित बरामदगी के लिए कार्रवाई करने को कहा.

सरकारी संस्थानों में होगा कुशल युवा कार्यक्रम

पटना. कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन को लेकर कुछेक केंद्र संचालकों द्वारा भ्रम की स्थिति फैलाये जाने पर युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिव कौशल किशोर ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम का संचालन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, प्रखंड कौशल विकास केंद्रों, प्रखंड स्तरीय राजकीय महाविद्यालयों अन्य सरकारी संस्थानों की उपलब्ध अवसंरचना, संसाधनों के माध्यम से किया जायेगा. कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के युवाओं को उद्योगों की वर्तमान जरूरतों, बाजार में मांग के अनुरूप आधुनिक एवं रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है. युवाओं को सोलर, ड्रोन तकनीक, नेटवर्किंग, होम नर्सिंग, मल्टी-स्किल्ड वर्कर, लैब टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी), ब्यूटी एवं वेलनेस, बेकरी, इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जायेगा.

शोध को बढ़ावा देने के लिए 12 से 17 सितंबर तक वर्कशॉप

पटना. बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए राज्य के युवा शिक्षकों को रिसर्च मेथडोलॉजी की विशेष ट्रेनिंग दी जायेगी. इसके लिए 12 से 17 सितंबर 2026 तक छह दिवसीय रिसर्च मेथडोलॉजी ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित होगी. इसका आयोजन आइसीएसएसआर, उच्च शिक्षा विभाग और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट संयुक्त रूप से करेंगे. इस संबंध में गुरुवार को बिहार लोक भवन में बैठक हुई. बैठक में आइसीएसएसआर के सदस्य सचिव प्रो धनंजय सिंह ने छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध रिसर्च ग्रांट, ट्रेनिंग प्रोग्राम और अन्य अवसरों की विस्तार से जानकारी दी.

बीडी कॉलेज में नये सभागार का उद्घाटन, पूर्व प्राचार्या को दी विदाई

पटना. बीडी कॉलेज पटना में बुधवार को बिहार बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत जीर्णोद्धारित सभागार का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर कॉलेज की पूर्व प्राचार्या प्रो रत्ना अमृत को विदाई दी गयी. कार्यक्रम में पीपीयू के कुलपति प्रो उपेन्द्र प्रसाद सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे. कुलपति ने कहा कि प्रो रत्ना अमृत का बीडी कॉलेज की प्राचार्या के रूप में कार्यकाल उल्लेखनीय रहा है. कहा कि सभागार की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब यहां नियमित रूप से ज्ञानवर्धक संगोष्ठियों व शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन हो. उन्होंने शिक्षकों व कर्मियों से कॉलेज के शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाने का आह्वान किया. कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य प्रो दिवाकर प्रसाद ने प्रो रत्ना अमृत के योगदान की सराहना की.

आरबीआइ ने छात्राओं को दी साइबर सुरक्षा की जानकारी

बांकीपुर गर्ल्स हाइ स्कूल में छात्राओं को जानकारी देती आरबीआइ की टीम

संवाददाता, पटना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की ओर से गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांकीपुर में वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में शिक्षकों सहित करीब 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया. आरबीआइ के अधिकारियों ने ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति और सरल उदाहरणों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं, सुरक्षित वित्तीय व्यवहार तथा कम उम्र से बचत और वित्तीय नियोजन की आदत विकसित करने के महत्व की जानकारी दी. प्रतिभागियों को बैंक खातों में नामांकन, समय-समय पर केवाइसी अपडेट कराने व बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) की विशेषताओं से भी अवगत कराया गया.

साथ ही बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और नोट वापसी नियमों की जानकारी भी दी गयी. मौके पर विद्यालय की प्राचार्या किरण कुमारी, एफएल क्लब के नोडल शिक्षक जय प्रभा कुमारी, मुरलीधर शुक्ल, प्रियंका कुमारी आदि मौजूद थीं.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

मुजफ्फरपुर (मुख्य) शाखा
तिलक मैदान रोड, मुजफ्फरपुर–842001
फोन: 8294635902
E-mail: muzaff@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
परिशिष्ट–IV-A (नियम 8(6) का प्रावधान देखें)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियो की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना।
आम जनता और खास तौर पर ऋणकर्त्ता, बंधककर्त्ता और गारेण्टर को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताई गई अचल सम्पत्ति, जो प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने ले लिया है, उसे **"जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है"**, और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा और खरीददार को नीचे दिए गए अकाउंट/अकाउंट्स मे बकाया की रिकवरी के लिए कानूनी बकाया और दूसरी रूकावटों, अगर कोई हो, की स्थिति का पता लगाना चाहिए। कर्जदार(रों)/बंधककर्त्ता(ओं)/जमानतदार(ओं)/प्रतिभूति आस्तियाँ/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे उल्लेखित है।

क्र. सं./ लौट सं0	कर्जदार/जमानतदार /बंधककर्त्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण साथ मे ज्ञात भार, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि मांग सूचना तिथि	ई–नीलामी की तिथि और ई–नीलामी का समय/ आरंभ एवं समाप्ति का समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जा की स्थिति (रचनात्मक /भौतिक)	सम्पत्ति के निरिक्षण की तिथि एवं समय	सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए एनकम्ब्रेन्स का विवरण
1.	श्रीमती प्रतिभा कुमारी ऋणकर्त्ता– श्रीमती प्रतिभा कुमारी गारेण्टर/बंधककर्त्ता पता: ग्राम–करनपुर, पोस्ट–बोंचहा, ब्लॉक– बोंचहा, जिला– मुजफ्फरपुर, बिहार–843103	बंधक रखे गए आवासीय/व्यपारिक जमीन जिसका मौजा–करनपुर, रेव थाना नं0 642, अंचल–बोंचहा, एस.आर.ओ.– बोंचहा, थाना–बोंचहा, जिला– मुजफ्फरपुर, क्षेत्रफल–4.5 डिसमल, खाता नं0 69, खेसरा नं0 2172, दिनांक 09.06.2022 जो श्रीमती प्रतिभा कुमारी, पति श्री धमेन्द्र कुमार के नाम है। बंधक डीड के अनुसार चौहद्दी: उत्तर– निज बिक्रेता एवं अन्य, दक्षिण–ग्रामीन सड़क, पूर्व–महेन्द्र महतो, पश्चिम– भूटन महतो। सीईआरएसएआई आईडी: 400064816881	Rs.28,63,378.40/- (रूपया अठाइस लाख तिरसठ हजार तीन सौ अठत्तर एवं चालीस पैसे मात्र) दिनांक 31.08.2025 के अनुसार साथ में ब्याज एवं अन्य चार्ज दिनांक 01.09.2025 से लागु 06.09.2025	29.09.2026 02.00 PM to 5.00 PM	Rs. 29,47,500.00 / Rs. 2,94,750.00 / Rs. 50,000.00	भौतिकात्मक	दिनांक 21.08.2026 से 28.09.2026 समय 11.00 am से 4.00 pm	मालुम नहीं

बिक्री की नियम एवं शर्तो के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा, सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction and http://baanknet.com** पर सेवा प्रदाता के दिए गए लिंक को देखें।

स्थान: मुजफ्फरपुर
दिनांक: 20.08.2026
विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा